

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 106/2024

ऑनलाईन नम्बर 2024/225

निर्णय दिनांक 29.08.2024

हुकमाराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ, जिला बीकानेर

—प्रार्थी—

राजस्थान सरकार तहसीलदार (राजस्व), श्रीडूंगरगढ ।

बनाम

उपस्थिति:-

—अप्रार्थी—

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक प्रार्थी ।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956 ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से खातेदारी खेत खसरा नम्बर 954/179 तादादी 7.1900 हैक्टियर रोही देराजसर में स्थित है जिसका अलग से राजस्व नक्शा बना हुआ है। उक्त राजस्व नक्शा अनुसार प्रार्थी के खेत का 0.8260 हैक्टियर रकबा कम है प्रार्थी का खेत राजस्व नक्शानुसार नहीं है। उक्त दबी हुई भूमि की पत्थरगढी करवाकर नयी सीमा मौके पर राजस्व नक्शे के अनुसार कायम की जानी है जिससे प्रार्थी की भूमि की सीमाएं राजस्व नक्शे के अनुसार कायम की जा सके। प्रार्थी द्वारा के खेत का सीमाज्ञान करवाने के बाद भी आज तक नयी सीमा सीमाज्ञान के अनुसार कायम नहीं की है प्रार्थी अपने खेत की राजस्व रिकार्ड के अनुसार सीमाएं कायम करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी के खेत की भूमि दबी हुई होने से आगे बरसात का मौसम शुरू होने से पूर्व नई सीमा कायम करवाई जानी अत्यन्त आवश्यक है इसलिए आज ही तहसीलदार को सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाने का आदेश जारी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की भूमि रोही देराजसर में अवस्थित है जो श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में है। प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के श्रवणाधिकार का है। जो जानकारी के अन्दर मियाद एवं पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के नाम से खातेदारी खेत गत खसरा नम्बर 954/179 तादादी 7.1900 हैक्टियर रोही देराजसर का राजस्व नक्शा के आधार पर पत्थरगढी करने का आदेश जारी करने की कृपा करें।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज ने जवाब पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 954/179 तादादी 7.1900 हैक्टियर रोही देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ की खातेदारी प्रार्थी की पृथक से दर्ज है। खसरा नंबर 954/179 के सीमाचिन्ह जो नक्शे में मौजूद है उनके आधार पर अथवा मौके के अनुसार प्रार्थी की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को 1000/-रु. की कोस्ट पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस कमिश्नर प्रार्थी द्वारा वहन की जावेगी। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ नियमानुसार राशि राजकोष में प्रार्थी से जमा कर भूमि की पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 29.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।



(उमा मिश्रा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)